भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3260
मंगलवार, 21 मार्च, 2023/30 फाल्गुन, 1944 (शक) को उत्तरार्थ

उत्तर प्रदेश में सहकारिता

†3260. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यशील सहकारी समितियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सहकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को डिजिटाइज करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा सहकारी समितियों के कामकाज में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में सहकारी क्षेत्र के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क)से (ड): भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय प्रोफाइल-2018 के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 48,188 सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं।

आर्थिक कार्य मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा दिनांक 29 जून, 2022 को 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से देश भर में कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना का अनुमोदन किया गया है जो कार्यान्वयनाधीन है। वर्तमान में, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से 54,752 PACS/लार्ज एरिया मल्टी-पर्पस सहकारी समितियां (लैम्प्स)/ किसान सेवा समिति (एफ.एस.एस) को कंप्यूटरीकृत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 201.18 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी की राशि हार्डवेयर की खरीद, लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण एवं सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए जारी किया गया है । नाबार्ड द्वारा केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर परियोजना निगरानी इकाइयों (PMUs) की स्थापना की जा चुकी हैं । नाबार्ड द्वारा चयनित राष्ट्रीय स्तर के परियोजना सॉफ्टवेयर वेंडर (NLPSV) द्वारा सॉफ्टवेयर विकास का कार्य आरंभ हो गया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने और बढ़ावा देने तथा सहकारी समितियों के कामकाज में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई, 2021 में अपने गठन के बाद से कई पहल की हैं जैसे कि:-

1. पैक्स का कंप्यूटरीकरण: 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स को एक ERP आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है ।

2. पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां: पैक्स को डेयरी, मात्स्यिकी, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों के प्रापण, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग अभिकर्ता, कॉमन सेवा केन्द्र, आदि जैसी 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करने के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर संबंधित राज्यों के सहकारी अधिनियम के अनुसार अपनाए जाने के लिए परिचालित किया गया ।

3. कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स: पैक्स की व्यवहार्यता में सुधार, गांव स्तर पर ई-सेवा प्रदान करने व रोज़गार सृजन के लिए पैक्स को कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया ।

4. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस: नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों की मदद के लिए देश के सभी सेक्टरों की सहकारी समितियों के प्रमाणिक और अद्यतित डाटा भंडार हेतु एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाया जा रहा है ।

5. प्रत्येक पंचायत/गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समिति की स्थापना: सरकार द्वारा विभिन्न मौजूदा योजनाओं का लाभ लेकर आगामी पांच वर्षों में 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी एवं मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना अनुमोदित की गई है ।

6. राष्ट्रीय सहकारी नीति: सक्षम परितंत्र सृजित करके 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु नई सहकारी नीति बनाने के लिए देश भर से लिए गए विशेषज्ञों व हितधारकों को शामिल करके एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया ।

7. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का संशोधन: सत्तानवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने तथा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने व निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए केन्द्रीय प्रशासित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने हेतु संसद में विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

8. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम: एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मात्स्यिकी के लिए 'नील सहकार' आरंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में एनसीडीसी ने 34,221 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया ।

9. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थान: गैर-अधिसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना में बतौर सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) के रूप में अधिसूचित किया गया जिससे ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में वृद्धि हो सके ।

10. जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर 'क्रेता' के रूप में शामिल: जेम पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति दी गई जिससे किफायती खरीद और पारदर्शिता के साथ वे लगभग 40 लाख विक्रेताओं से माल व सेवा की खरीद कर सकेंगे ।

11. सहकारी समितियों के अधिभार में कटौती: 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है ।

12. न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कटौती: सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर15% कर दिया गया है ।

13. आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत राहत: आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत सहकारी समितियों द्वारा किए गए नकद लेनदेन पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है ।

14. नई सहकारी समितियों के लिए कर की दर को कम करना: केन्द्रीय बजट 2023-24 में 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगाने की घोषणा की गई है ।

15. पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी: केन्द्रीय बजट 2023-24 में पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य करने की घोषणा की गई है ।

16. स्रोत पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि: केन्द्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की गई है ।

17. चीनी सहकारी मिलों को राहत: सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य की सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा ।

18. चीनी सहकारी मिलों के पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान: केन्द्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई है कि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें लगभग 10000 करोड़ रुपए की राहत प्राप्त हो सकेगी ।

19. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की जा रही है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगा।

20. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी जैविक समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो प्रमाणित व प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन करेगा ।

21. राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की नई सर्वोच्च बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में किया जा रहा है जो सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देगा ।

पैक्स परियोजना के कम्प्यूटरीकरण के तहत उत्तर प्रदेश राज्य को केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 7.13 करोड़ रुपये की राशि 1,539 PACS के कम्प्यूटरीकरण हेतु जारी की गई है। उपरोक्त के अलावा, 16.03.2023 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को संचयी रूप से 7414.40 करोड़ रुपये की राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में वितरित की गई है।

******